***जनपद – संतकबीरनगर*　　　　*प्रेस विज्ञप्ति*　　　　*दिनाँक 04.07.2025***

***तंत्र मंत्र, धोखाधड़ी का सहारा लेकर चोरी करने वाले गैंग का भण्डाफोड़, सामान व नगदी समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री राकेश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 04.07.2025 को 03 अभियुक्तगण नाम पता 01. मो० सफीक पुत्र मो० जही निवासी धर्मसिंहवा बाजार वार्ड न० 13 थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर, 02. जलालुद्दीन पुत्र रमजान अली, 03. जैनुल आबदीन पुत्र रफी कुल्लाह निवासीगण खजुरी थाना बखिरा जनपद जनपद संतकबीरनगर को 02 जोड़ी कान का झाला पीली धातु, 01 जोड़ी टप्स, 01 लाकेट, 01 नाक का खिल, 01 नथुनी, 02 बाली पीली धातु, 02 जोड़ी पायल, 01 ब्रेसलेट, 01 पाजेब सफेद धातु, 85,000 हजार रुपये नकद के साथ झुडिया पुल से गिरफ्तार किया गया।

**वादिनी श्रीमती जैनब पत्नी अजीज आलम निवासी खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर दिनांक 03.07.2025 को 03 लोगो द्वारा ग्राम खजुरी से षडयंत्र कर 1,66,000 हजार रुपये व गहना चोरी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 259/2025 धारा 303(2)/316(2)/318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।**

**उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के उपरान्त थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 259/2025 धारा 303(2)/316(2)/318(4) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया है।**

***गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-***

01. मो० सफीक पुत्र मो० जहीर सा० धर्मसिंहवा बाजार वार्ड न०13 थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर।

02. जलालुद्दीन पुत्र रमजान अली निवासी खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

03. जैनुल आबदीन पुत्र रफी कुल्लाह निवासी खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी का विवरणः-***

01- 02 जोड़ी कान का झाला पीली धातु।

02- 01 जोड़ी टप्स।

03- 01 अदद लाकेट।

04- 01 अदद नाक का खिल।

05- 01 अदद नथुनी।

06- 02 अदद बाली पीली धातु।

07- 02 जोड़ी पायल।

08- 01 अदद ब्रेसलेट।

09- 01 अदद पाजेब सफेद धातु।

10- 85,000 हजार रुपये नकद।

***पूछताछ विवरणः-*** गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि हम तीनों लोग एक साथ मिलकर तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा व गहना हड़प लेते है तथा हम तीनो लोग मिलकर पिछले महीने खजुरी गांव की एक महिला से तंत्र मंत्र के नाम पर षडयंत्र कर 1,66,000 हजार रुपये व गहना चोरी किये थे। जिसमें से कुछ गहने नेपाल ले जाकर बेंच दिए थे।

***गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-***

उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 अभयनन्दन, हे0का0 रमायन शर्मा, हे0का0 संतोष सिंह, का0 लवकेश यादव, का0 संजीव यादव।

*

**दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता रामानन्द वर्मा पुत्र यदुवंशी वर्मा निवासी उत्तरपट्टी कस्बा मेंहदावल थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा।

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार***

- *थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 218 वाहनों से 2,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनांक 04.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 218 वाहनों से 2,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिनियम में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री व परिवहन के संबंध में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मु0अ0सं0 210/2025 धारा 60(2),63 आबकारी अधि0 व 274,61(2) (B) बीएनएस थाना धनघटा में वाँछित अभियुक्त नाम पता राज कुमार शाहू पुत्र स्व0 अवधेश शाहू निवासी जुरिया रोड़, राजबंगला थाना लोहरदग्गा, जनपद लोहरदग्गा राज्य झारखण्ड को राय ढाबा भक्ता से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि पूर्व में दिनांक 13.05.2025 को जनपदीय एसओजी टीम व थाना धनघटा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 10 भट्ठी व 95 लीटर अपमिश्रित देशी कच्ची शराब मय शराब बनाने के उपकरण के साथ 05 नफर अभियुक्ताओं 1. दिलसरी देवी पत्नी तेजू साहू साकिन ग्राम गुड़ी बागी थाना कैरो जनपद लोहरदगा झारखण्ड, 2. बालमन्ती पत्नी अनूप निवासी ग्राम चपका थाना घाघरा जनपद गुमला झारखण्ड, 3. मुन्नी देवी पत्नी कंचन लोहरा निवासी ग्राम लोहरदगा थाना लोहरदगा जनपद लोहरदगा झारखण्ड, 4. सुषमा पत्नी बेनी साहू निवासी ग्राम सलगी थाना कुडु जनपद लोहरदगा झारखण्ड, 5.मुन्नी देवी पत्नी मनोज निवासी ग्राम मिठौरा बाजार हरतोरवा थाना निचलौल जनपद महराजगंज को गिरफ्तार करते हुए 2000 ली0 लहन नष्ट किया गया था।

***पुलिस टीम का विवरणः -***

उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, हे0का0 पवन कुमार, का0 वीरेन्द्र कुमार।